173

सूचना का अधिकार/अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

विषयः— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) की क्रियान्विति के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग अशा0टीप0 क्रमांक 17 (1) प्रसु/सूअप्र/2010 दिनांक 7.5.2010 एवं प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र समसंख्यक दिनांक 18.5.2010 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहुगीं जिसमें सभी विभागों की वेबसाईट में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 4(1)(ख) में उल्लेखित बिन्दुओं का पूर्ण विवरण अंकित किया गया है या नहीं इसके बारे में सूचना इस विभाग में भिजवाने हेतु लिखा गया था। इस संबंध में धारा 4(1)(ख) में उल्लेखित निम्न बिन्दुओं का निर्धारित प्रपत्र में सूचना अविलम्ब भिजवाये जाने की कृपया व्यवस्था करावें:—

क्र. सं	धारा 4(1)(ख) के बिन्दु	विभाग की वेबसाईट में उक्त बिन्दु अंकित है या नहीं पूर्ण विवरण।
1	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य।	
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।	
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वंय द्वारा स्थापित मापमान।	
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	
6	ऐसे दस्तावेजो के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण।	
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टिया जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	
8	ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डे, परिषदों, समितियो और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठको [illegible]	

9	अपने अधिकारियो और कर्मचारियों की निर्देशिका।	
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकार की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो।	
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।	
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टया।	
14	किसी इलैक्ट्रोनिक रूप से सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके धारित हो।	
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंट सम्मिलित है।	
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।	
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।	

21.5.010

(हंसा सिंह देव)
लोक सूचना अधिकारी एव
शासन उप सचिव

प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

९+६

अशा0टीप0संख्या प0 3(22)प्रसु/सूअप्र/2006 पार्ट–2
जयपुर, दिनांक : 21.5.010